<u>न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 09/2016 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 02.03.2016

1. श्रीमती मनीषा पत्नी गोविन्द पुत्री दर्शनसिंह आयु 19 साल जाति— कुशवाह, निवासी— ग्राम सीकरा परगना डबरा जिला ग्वालियर, हाल निवासी— ग्राम हरीराम की कुईया थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड
2. देवांश पुत्र गोविन्द आयु 19 दिन नाबालिक सरपरस्त मनीषा पत्नी गोविन्द मां खुद, निवासी— हरीराम की कुईया मालनपुर जिला भिण्ड

– आवेदकगण

बनाम

गोविन्द पुत्र मोहनलाल सिंह आयु 20 वर्ष जाति— कुशवाह निवासी— ग्राम सीकरा परगना डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

– अनावेदक

(आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स.) (आवेदिका द्वारा अधिवक्ता— श्री आर0सी0 यादव) (अनावेदक द्वारा अधिवक्ता— श्री एम0एस0 यादव)

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 07.05.2018) को पारित)

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125 द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क0 1 का विवाह दिनांक 27.04.2015 को अनावेदक के साथ हुआ था। आवेदिका क0 1 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। शादी के बाद कुछ समय तक आवेदिका की ससुराल वालों ने आवेदिका को अच्छी तरह से रखा था। शादी के एक साल बाद से ही अनावेदक गोविन्द एवं आवेदिका का देवर रमन, सास विद्या, मौसिया सास संगीता तथा मौसिया ससुर देशराज

आवेदिका से दहेज में पचास हजार रूपए नगद एवं मोटरसाईकिल तथा फ्रिज की मांग करने लगे थे तथा आवेदिका को दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे। दिनांक 07.01.2016 को दहेज की मांग को लेकर अनावेदक एवं उसके परिजनों ने आवेदिका की मारपीट की थी और उसे घर से निकाल दिया था तथा आवेदिका का सामान एवं स्त्री धन इत्यादि रख लिया था एवं उसका मोबाईल तोड़ दिया था तब आवेदिका ने अपने पिता को बुलाया था और उसके पिता उसे अपने साथ मालनपुर लेकर आये थे तब से आवेदिका अपने पिता के साथ रह रही है। आवेदिका ने ससुराल वालों के विरूद्ध दिनांक 23.01.2016 को सी०एस० हेल्पलाईन में शिकायत की थी और दिनांक 23.02.2016 को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जन सुनवाई में आवेदन दिया था। आवेदिका के दिनांक 25.07.2016 को पुत्र देवांश का जन्म हो गया है। अनावेदक डबरा में न्यू प्राचीन लाईट एवं टेंट हाउस पर नौकरी करता है जहां उसे 12 हजार रूपए प्रतिमाह बेतन मिलता है एवं शादियों के न होने पर वह ईंटे थापने का काम वह अपने माता-पिता के साथ करता है जिससे वह 12 हजार रूपए प्रतिमाह कमाता है। आवेदिका कम पढ़ी लिखी महिला है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नही है। अतः आवेदिका को अनावेदक से 10 हजार रूपए एवं उसके पुत्र देवांश को 5 हजार रूपए प्रतिमाह भरणपोषण दिया जावे।

- 🦰 अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदिका क0 1 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदक एवं उसके परिजनों ने आवेदिका को अच्छी तरह रखा था। अनावेदक के माता-पिता, भाई, मौसी द्वारा आवेदिका से कभी भी दहेज की मांग नही की गई थी तथा आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान नहीं किया गया है। अनावेदक एवं उसके परिजनों द्वारा आवेदिका का मोबाईल नहीं तोड़ा गया है और न ही घर से भगाया गया है बल्कि आवेदिका अपनी मर्जी से अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई है। अनावेदक अपनी पत्नी व पुत्र को साथ रखने के लिए तैयार है। अनावेदक मजद्री करता है जिससे उसे दो–तीन हजार रूपए प्रतिमाह की आमदनी होती है। अनावेदक ईंटे थापने का कार्य नहीं करता है। अनावेदक द्वारा अपनी पत्नी को नहीं निकाला गया है। अनावेदक अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है। अनावेदक ने आवेदिका को साथ रखने के लिए धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का दावा भी डबरा न्यायालय में पेश किया है, आवेदिका उसमें जानबूझ कर तामील नहीं ले रही है। आवेदिका उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। आवेदिका दसवी कक्षी तक पढ़ी है एवं अपना भरणपोषण करने में सक्षम है। आवेदिका द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तृत किया गया है, जो निरस्ती योग्य है।
- उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-
 - क्या आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
 - 2. क्या आवेदकगण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
 - 3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?

3.

- 4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोशण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
- 5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदिका मनीषा अ0सा0 1 एवं भारती अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है तथा अनावेदक की ओर से साक्षी विद्याबाई अना0सा0 को परीक्षित कराया गया है।

//निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण//

<u>/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 / / / </u>

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी 27.04.2015 को गोविन्द के साथ हुई थी, शादी के बाद कुछ दिनों तक गोविन्द ने उसे ठीक ठाक रखा था। उसके बाद गोविन्द उससे पचास हजार रूपए और मोटरसाईकिल दहेज में लाने के लिए कहने लगा था, उसके मौसिया सास संगीता, मौसा ससूर देशराज, सास विद्या, पति गोविन्द एवं देवर रमन भी उससे पचास हजार रूपए नगद एवं मोटरसाईकिल की मांग करते थे। उसने उक्त दहेज देने से मना किया था तो सभी लोग उसकी मारपीट करते थे, अनावेदक गोविन्द वही करता था जो कि उसकी मौसी सास संगीता एवं मौसा ससूर देशराज बोलते थे, अगर वह उन लोगों की बात नहीं मानती थी तो वह लोग उसकी मारपीट करते थे। दिनांक 07.04.2015 को उसने अपने पिता दर्शन सिंह को फोन लगाया था तो वह उसे लेने आये थे उसकी सास ने उसके सारे गहने कपड़े रख लिये थे और उसे घर से निकाल दिया था। उसने मायके आकर दिनांक 23.01.2016 को सी0एम0 हेल्पालाईन में रिपोर्ट की थी, तब कोई कार्यवाही नही हुई थी। कुछ दिन बाद उसके मौसा सस्र देशराज और अनावेदक गोविन्द उसके मायके आये थे एवं दोनों लोगों ने घर आकर उसकी एवं उसके माता-पिता तथा भाई की मारपीट की थी। उसके पेट में बच्चा था। गोविन्द ने उसके पेट में लात मारी थी। वह लगभग डेढ साल से अपने मायके में रह रही है। उसका पुत्र अनावेदक क0 2 देवांश भी मायके में पैदा हुआ था वह लगभग एक वर्ष का है, अनावेदक उसे लेने नहीं आया है।

प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि डबरा न्यायालय में अनावेदक ने उसके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन का आवेदन लगाया है। पद क0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह शादी के बाद पूरे नौ माह अपनी ससुराल ग्राम सेंकरा में रही थी, नौ महीने के दौरान वह एक—दो बार अपने मायके आई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि नौ महीने के दौरान उसने अपने मायके आकर कभी कोई दहेज संबंधी बात अपने माता—पिता को नहीं बताई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके मौसिया ससुर एवं सास ग्राम सेंकरा में नहीं रहते हैं। जिस समय उसे ससुराल से निकाला गया था उसकी मौसिया सास ससुराल में थी लेकिन उसके मौसिया ससुर नहीं थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपनी ससुराल से अपने पिता के साथ दिनांक 17.01.2016 को आई थी। पद क0 7 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पित ने गोइद न्यायालय में दो—तीन बाद उसे ले जाने के लिए कहा था किन्तु वह नहीं गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि डबरा केस में भी उसने गोविन्द के साथ रहने से मना किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने माता—पिता के यहां अच्छी तरह से रही है, उसे वहां किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नही है।

8. आवेदिका साक्षी भारती अ०सा० 2 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है एवं अनावेदक द्वारा आवेदिका से दहेज की मांग करने तथा आवेदिका की मारपीट करने बावत् प्रकटीकरण किया है।

9. अनावेदक साक्षी विद्याबाई अना०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके लड़के की शादी वर्ष 2015 में मनीषा के साथ हुई थी। शादी के बाद मनीषा एक साल तक अच्छी तरह से रही थी। शादी के एक साल बाद से मनीषा अलग रह रही है। उसके बेटे व बहू अलग रहते थे तथा उनका खाना—पीना भी अलग बनता था।

- 10. तर्क के दौरान आवेदिका अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक ने आवेदिका को दहेज की मांग की पूर्ति न होने के कारण घर से भगा दिया है। इसी कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक निवासरत है जबिक तर्क के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका अपने पुत्र के साथ अपनी मर्जी से अपने मायके में निवास कर रही है।
- 11. आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसकी शादी 27.04.2018 को अनावेदक गोविन्द के साथ हुई थी। शादी के बाद अनावेदक गोविन्द एवं उसके ससुराल वाले आवेदिका से मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रूपए दहेज में मांगने लगे थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। इसी क्रम में दिनांक 07.04.2015 को उसने अपने पिता दर्शन सिंह को फोन लगाया था तो वह आये थे एवं उसकी सास ने उसके सारे गहने कपड़े रखकर उसे घर से निकाल दिया था तब से वह अपने मायके में रह रही है। मायके में ही उसके पुत्र अनावेदक क0 2 देवांश पैदा हुआ था। आवेदिका वर्तमान में अपने पुत्र के साथ अपने मायके में रह रही है। प्रतिपरीक्षण के दौरान आवेदिका द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अनावेदक ने उसके विरुद्ध डबरा न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापन का आवेदन लगाया गया है एवं आवेदिका द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने डबरा न्यायालय में अनावेदक के साथ रहने से इंकार कर दिया था।
- 12. इस प्रकार आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अनावेदक ने उससे साथ चलने के लिए कहा था तथा उसने अनावेदक के साथ जाने से इंकार कर दिया है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका ने अनावेदक के साथ न रहने का कारण अनावेदक एवं उसके परिजनों द्वारा दहेज की मांग करना एवं आवेदिका की मारपीट करना बताया है तथा आवेदिका ने अनावेदक द्वारा मारपीट किये जाने के कारण अनावेदक के साथ जाने से इंकर किया है ऐसी स्थिति में मनीषा अ०सा० 1 के उक्त कथन से यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका बिना पर्याप्त कारण के अनावेदक से पृथक निवासरत है।
- 13. आवेदिका मनीषा अ०सा० १ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसके साथ कितनी बार और किस—िकस तारीख को मारपीट हुई थी, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका ने अनावेदक एवं उसके परिजनों द्वारा शादी के कुछ दिन बाद से ही उससे दहेज में मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रूपए की मांग करना बताया है एवं आवेदिका के कथनों से यह दर्शित है कि अनावेदक एवं उसके परिजनों द्वारा निरंतर आवेदिका की मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया जाता था। चूंकि उक्त अपराध दिन प्रतिदिन घटने वाला अपराध है, ऐसी स्थिति में आवेदिका को यह याद न होना स्वाभाविक है कि उसके साथ कितनी बार एवं किस—िकस तारीख को मारपीट हुई थी, ऐसी स्थिति में मात्र उक्त कथन से भी आवेदन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 14. आवेदिका साक्षी भारती अ०सा० 2 जो कि आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 की मां है, ने भी अपने कथन में आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है तथा अनावेदक एवं उसके परिजनो द्वारा आवेदिका से पचास हजार रूपए, मोटरसाईकिल, फिज दहेज में लाने एवं न लाने पर उसकी मारपीट करने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी का अनावेदक अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

- 15. जहां तक अनावेदक साक्षी विद्याबाई के कथन का प्रश्न है तो विद्याबाई अना०सा० 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के एक साल बाद से मनीषा उससे अलग रह रही है। विद्याबाई अना०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसकी बहू मनीषा मायके चली गई थी परन्तु उक्त साक्षी का ऐसा कहना नही है कि उनके द्वारा आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की जाती थी, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 16. इस प्रकार आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि अनावेदक एवं उसके परिवारजन उससे दहेज में मोटरसाईकिल व पचास हजार रूपए की मांग करते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे उसी तरह आवेदिका अपने पुत्र आवेदक क० 2 के साथ अपने मायके में रह रही है। उक्त बिन्दु पर आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन भारती अ०सा० 2 द्वारा भी किया गया है। अनावेदक की ओर से उक्त दोनों साक्षियों का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। अनावेदक की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एव न ही स्वयं को परीक्षित कराया गया है। आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथनों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक एवं उसके परिजनों द्वारा आवेदिका मनीषा को दहेज की मांग की पूर्ति के लिए प्रताड़ित किया जाता था इसी कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक अपने पुत्र के साथ अपने मायके में निवासरत है, जो कि अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। फलतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02//

- 17. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह दसवी पास है, वह कोई काम नहीं जानती है, उसके और उसके बच्चे का खर्च उसके माता—पिता उठाते हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क० 7 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपने माता—पिता के यहां अच्छी तरह से रह रही है।
- 18. आवेदिका साक्षी भारती अ०सा० 2 ने भी उक्त बिन्दु पर मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि मनीषा दसवी तक पढ़ी लिखी है, वह कोई काम नहीं जानती है। मनीषा एवं उसके बच्चे का खर्च वह लोग उठाते हैं।
- 19. इस प्रकार आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह कोई काम नहीं जानती है। यद्यपि उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपने माता—पिता के यहां अच्छी तरह से रही है परन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदिका अपना भरणपोषण करने में सक्षम है एवं यदि आवेदिका अपने मायके में सुविधापूर्ण जीवन जी रही है तो भी इस कारण से अनावेदक का आवेदिका का भरणपोषण करने का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है।
- 20. आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह कोई काम नहीं जानती है। आवेदिका साक्षी भारती अ०सा० 2 द्वारा भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया गया है। अनावेदक की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अनावेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आवेदिका अपना एवं अपने बच्चे का भरणपोषण करने में सक्षम है। ऐसी

स्थिति में आवेदिका की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि आवेदकगण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03//

- 21. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका मनीषा आ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक गोविन्द लाईट एवं टेंट का काम करता है तथा उक्त कार्य से वह 12 हजार रूपए प्रतिमाह कमाता है, खाली समय में गोविन्द ईंटे बनाता है एवं ईंटे बनाने से भी गोविन्द 12 हजार रूपए प्रतिमाह कमाता है। आवेदिका साक्षी भारती अ0सा0 2 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका मनीषा अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि गोविन्द 10—12 हजार रूपए टेंट के कार्य से एवं 10—12 हजार रूपए ईंट भट्टे में कमा लेता है। अनावेदक द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि वह मजदूरी करता है जिससे वह दो—तीन हजार रूपए प्रतिमाह कमा लेता है।
- 22. इस प्रकार आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 ने अनावेदक द्वारा 12 हजार रूपए लाईट और टेंट के कार्य से एवं 12 हजार रूपए ईंटे बनाने के कार्य से प्रतिमाह कमाना बताया है। परन्तु उक्त संबंध में कोई प्रमाण आवेदिका द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदिका द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि द०प्र०सं० की धारा 125 में जो ''पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति'' वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय केवल प्रकट सम्पत्ति या यथासाध्य, सम्पदा, राजस्व या निश्चित रोजगार ही नहीं हैं उसमें कमाने की क्षमता का भी समावेश है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ्य एवं सक्षम शरीर वाला है तो यह माना जायेगा कि उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोंषण के लिये पर्याप्त साधन हैं।
- 23. भरण पोषण के आदेश हेतु यह कतई आवश्यक नहीं है कि पति सम्पत्ति धारण करता हो जब तक पित शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और कार्य करने तथा कमाने में सक्षम हो पत्नी को सहारा देना उसका कर्तव्य है चाहे वह दिवालिया, विक्षुप्त, अवयस्क, साधू या सन्यासी ही क्यों न हो। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है जो विवाह के क्षण से ही पित के साथ युक्त हो जाता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत ओंकार कोंडले वि. श्रीमती कमालती वाई 2017 (3) सी.जी.एच.सी. 1430 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पत्नी का पूर्ण अधिकार है तथा वह इस अभिवाक पर विफल नहीं किया जा सकता है कि पित के पास कोई काम नहीं हैं।
- 24. इस प्रकार यद्यपि प्रकरण में आवेदिका मनीषा अ.सा. 1 द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक गोविन्द द्वारा अपने जबाव आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि वह मजदूरी करता है। अनावेदक साक्षी विद्याबाई अना०सा० 1 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक को कभी—कभी मजदूरी मिल जाती है इससे यह दर्शित है कि अनावेदक मजदूरी करता है। अनावेदक वयस्क एवं स्वरूथ व्यक्ति है तथा मजदूरी करने में सक्षम है एवं यदि अनावेदक महीने में 25 दिन भी मजदूरी करता है तो 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से छः हजार दो सौ प्रचास रूपये प्रतिमाह कमाने में सक्षम है। ऐसी स्थित में यही माना जाएगा कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04//

- 25. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदक उसे व उसके बच्चे को पैसे नहीं भेजता है। वह अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है। अतः उसे व उसके बच्चे को अनावेदक से दस हजार रूपए प्रतिमाह भरणपोषण दिलाया जावे। आवेदिका साक्षी भारती अ०सा० 2 ने भी उक्त बिन्दु पर आवेदिका मनीषा अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है तथा व्यक्त किया है कि अनावेदक आवेदकगण को खर्च नहीं देता है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
- 26. इस प्रकार आवेदिका मनीषा अ.सा. 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है अनावेदक द्वारा उसका एवं उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। अनावेदक की ओर से उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है ना ही अनावेदक का ऐसा कहना है कि वह आवेदकगण का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण नहीं किया जा रहा है।
- 27. आवेदिका मनीषा अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदक क. 2 देवांश अनावेदक का पुत्र है। पित एवं पिता होने के नाते अनावेदक का यह धार्मिक एवं पुनीत कर्तव्य है कि वह आवेदकगण की सुख—सुविधाओं का ध्यान रखे एवं उनका भरण पोषण करे अनावेदक द्वारा अपने इस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है अतएव आवेदकगण को अनावेदक से भरण पोषण की राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान समय की मंहगाई आवेदकगण के दैनिक खर्चे, आवेदक क.2 देवांश की पढ़ाई—लिखाई के खर्चे एवं अनावेदक की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका क. 1 मनीषा को अनावेदक से पंद्रह सौ रूपये प्रतिमाह एवं आवेदक क.2 देवांश को अनावेदक से पंद्रह सौ रूपये प्रतिमाह कुल तीन हजार रुपये प्रतिमाह की राशि भरण पोषण के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।
- 28. फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से आवेदिका क्र.1 मनीषा को पंद्रह सौ रुपये एवं आवेदक क्र.2 देवांश को पंद्रह सौ रुपये कुल तीन हजार रुपये की राशि प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में को अदा करें।

स्थान–गोहद दिनांक– 07.05.2018

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)



